(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 67 / 2023 जी.सी.एम.एस नम्बर :– 2023 / 166

1. रामस्वरूप पुत्र जीता जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
2. महासिंह पुत्र बिरबल जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
3. महिपाल पुत्र बिरबल जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
4. चन्द्रावती पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
5. अंकिता पुत्री सुभाष जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
6. विनिता पुत्री सुभाष जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
7. मुकेश पुत्र सुभाष जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

..........................प्रार्थीगण

– ब ना म –

1. अशोक पुत्र नारायण जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
2. रतिराम पुत्र नारायण जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
3. सत्यवीर पुत्र नारायण जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
4. नन्दी देवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
5. विजेन्द्र कुमार पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
6. सुनिल कुमार पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
7. सुरेन्द्र पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
8. सुनिता पुत्री सहीराम जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
9. जानकी पत्नी गजानन्द जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
10. राजेश पुत्र गजानन्द जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
11. सकेन्द्र पुत्र अजीत जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
12. अरविन्द पुत्र अजीत जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
13. कवीता पुत्री अजीत जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
14. जसवन्त पुत्र चुना जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
15. अमर सिंह पुत्र भाना जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
16. दरिया सिंह पुत्र भाना जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
17. नागरमल पुत्र भाना जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
18. बृजलाल पुत्र भाना जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
19. शीशराम पुत्र भाना जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
20. सुरजाराम पुत्र भाना जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

21. खजानी देवी पत्नी कर्मचन्द जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
22. मनोज पुत्री कर्मचन्द जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
23. रविन्द्र पुत्र कर्मचन्द जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
24. विकास पुत्र कर्मचन्द जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
25. किताबो पत्नी ईश्वर जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
26. प्रदीप पुत्र ईश्वर जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
27. संजय पुत्र ईश्वर जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
28. सुमन पुत्री ईश्वर जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
29. अमर सिंह पुत्र गलवा जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
30. बलबीर पुत्र गलवा जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
31. विजय कुमार पुत्र सतवीर नाना गलवा जाति जाट निवासी जोधा का बास तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू (राज0)
32. सत्यवीर पुत्र गलवा जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
33. सावत्री पुत्री गलवा जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0) हाल आबाद गोदा का बास तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं
34. काशीराम पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
35. लीलाधर पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
36. शीशराम पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
37. अणची पुत्री रामनाथ पत्नी श्रीराम जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
38. चिड़िया पुत्री रामनाथ पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
39. किताबों पुत्री रामनाथ पत्नी बनवारी जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0) हाल आबाद स्यामी सेही तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं
40. लिक्ष्मा पुत्री रामनाथ पत्नी दरिया सिंह जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0) हाल आबाद स्यामी सेही तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं
41. सुमन पुत्री रामनाथ पत्नी नरेन्द्र निवासी मोई सद्दा (पुरानी) हाल आबाद चिड़ावा बाई पास नजदीक रेलवे लाईन सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
42. सुरजभान पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी मोई सद्दा (पुरानी) तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
43. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
44. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

..........................अनावेदकगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

<u>आवेदन पत्र बाबत रास्ता चाहने</u>

<u>अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>उपस्थित अधिवक्ता :–</u>

प्रार्थीगण की ओर से – श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता

अप्रार्थीगण संख्या 2, 5, 10, 14 की ओर से – श्री राजेश यादव अधिवक्ता

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अप्राथीगण संख्या 29, 30, 31, 32 की ओर से – श्री अंकित यादव अधिवक्ता

–: निर्णय :–

दिनांक :– 03/9/24

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि खाता संख्या 65 के ख0 न0 58 रकबा 6.61 है0, के खातेदार कास्तकार आवेदकगण है जिसको आवेदकगण कास्त करते है तथा अपनी भूमि में मकानात बनाकर आबाद है आवेदकगण की भूमि के उतर में ख0 न0 67 रकबा 0.65 है0, जिसके खातेदार अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 14 है तथा आवेदकगण की भूमि ख0 न0 58 के उतर में ख0 न0 55 के खातेदार अनावेदकगण 29 लगायत 33 है तथा ख0 न0 54 के खातेदार अनावेदकगण संख्या 34 लगायत 41 है तथा ख0 न0 53 के खातेदार अनावेदकगण संख्या 15 लगायत 28 दर्ज रिकार्ड है। तथा इनके ख0 न0 के उतर में एक कटानी रोड़ स्टेट हाईवे सिंघाना से चिड़ावा को जाने वाली स्थित है।
2. यह कि आवेदकगण को अपनी भूमि को कास्त करने तथा फसल पकने पर उसको बाजार तक ले जाने के लिए कोई कटानी रास्ता रिकार्ड में दर्ज नहीं है आवेदकगण की भूमि ख0 न0 58 के लिए उतर में स्थित सड़क से ख0 न0 53, 54, 55 के पूर्व मेड़ तथा ख0 न0 67 की पश्चिमी मेड पर से दोनों तरफ से 14 फुट रास्ते की आवश्यकता है जो दोनों तरफ ख0 न0 53, 54, 55 के पूर्वी मेड पर से 7 फुट तथा ख0 न0 67 के पश्चिमी मेड के सहारे सहारे 7 फुट कुल 14 फुट चौड़ाई में रास्ते आवश्यकता आवेदकगण के पास अपनी भूमि तक पहुचने के लिए अन्य कोई विकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदकगण आवेदन पत्र के साथ रास्ते का नजरी नक्शा प्रस्तुत कर रहे है जिसमें प्रस्तावित रास्ते को लाल सुर्ख स्याही से दर्शाया गया है जो मार्क ए व बी से दर्शाया गया है।
3. यह कि एक अन्य वैकल्पीक रास्ता भी आवेदकगण की भूमि के पास ख0 न0 58 में पहुचने के लिए ख0 न0 51 की पूर्वी मेढ से हो सकता है लेकिन ख0 न0 51 के दक्षिण व आवेदकगण की भूमि उतर में स्थित ख0 न0 446/57 के पूर्वी मेढ की तरफ मकान बना रखे है तथा उक्त रास्ते में अनावेदकगण संख्या 42 ने दिवार बना रखी है तथा ख0 न0 54 के पश्चिमी मेढ के सहारे सहारे मकानात बनाकर रखे है इसलिए यहा से रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं है इसलिए आवेदकगण के लिए नजदीक ख0 न0 53, 54, 55 के पूर्वी मेड के सहारे सहारे तथा ख0 न0 67 के पश्चिमी मेड के सहारे सहारे 14 फुट रास्ता दिया जाना उचित व सम्भव है अन्य कोई विकल्प आवेदकगण के पास रास्ते के लिए नहीं हैं।
4. यह कि आवेदकगण अपनी खातेदारी भूमि ख0 न0 58 को कास्त करने के लिए तथा फसल पकने के बाद बाजार में ले जाने के लिए अपनी भूमि तक पहुचने के लिए रास्ते की आवश्यकता है तथा आवेदकगण को भूमि तक पहुचने के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई कटानी रास्ता नही है इसलिए आवेदकगण को अपनी भूमि तक पहुचने के लिए रास्ते की आवश्यकता है आवेदकगण ने नियमानुसार रास्ते के लिए अनावेदकगण को डी.एल.सी. की दुगुनी राशि देने हेतु तैयार है।
5. यह कि खातेदार अजीत पुत्र गजानन्द फौत हो चुका है जिसके विधित वारिसान अनावेदकगण संख्या 11 लगायत 14 है तथा खातेदार ईश्वर पुत्र भाना फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिसान अनावेदकगण संख्या 25 लगायत 28 है तथा इसी प्रकार खातेदार रूकमा देवी पत्नी गलवा फौत हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान अनावेदकगण संख्या 29 लगायत 33 है। इसलिए उनको पक्षकार बनाया गया है तथा अनावेदकगण संख्या 43 से कुछ खातेदारों ने ऋण ले रखा है इसलिए उनको

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

पक्षकार बनाया गया है। तथा अनावेदकगण संख्या 44 भूमिधारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं

यह कि ग्राम मोई सद्दा तहसील बुहाना में स्थित आवेदक को उसकी भूमि ख0 न0 58 तक पहुचने के लिए ख0 न0 53, 54, 55 के पूर्वी मेड तथा ख0 न0 67 के पश्चिमी मेड के सहारे सहारे उतर में स्थित सड़क तक 14 फुट रास्ता जिसको नजरी नक्शे में लाल सुर्ख स्याही से मार्क ए व बी से दर्शाया गया है को कायम कर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज कर उक्त रास्ते का सीमांकन व मापन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

(2) आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई । अप्रार्थीगण संख्या 2, 5, 10, 14 की और से श्री राजेश यादव एड द्वारा दिनांक 03.05.2024 को जवाब पेश किया गया है व प्रतिवादी संख्या 29, 30, 31, 33 की और से श्री अंकित यादव एड. द्वारा दिनांक 19.07.2024 को इकबालिया जवाब पेश किया गया।

(3) न्यायालय द्वारा तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट हेतु पत्रांक 371 दिनांक 13.07.2023 के द्वारा पत्र भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 3094 दिनांक 12.10.2023 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट रही की –

(1) ग्राम मोई सद्दा पुरानी के ख0 न0 58 तक पहुच के अन्य वैकल्पिक साधनों के अभाव में अन्य खातेदार की जोत से नया मार्ग दिया जाना तार्किक व न्यायसंगत है।

(2) प्रस्तावित रास्ता प्रथम व द्वितीय में से प्रथम रास्ता जिसकी लम्बाई 105 मीटर है, प्रार्थी की भूमि ख0 न0 58 हेतु उपलब्ध विकल्पों में से निकटतम व लघुतम मार्ग है। इसे ख0 न0 55, 67, 58 के मिलान बिन्दु (तिमेड़ा) से 5 मीटर आगे विस्तारित किया जाना ट्रेक्टर ट्रॉली व अन्य कृषि वाहनो के सहज आवागमन हेतु अनिवार्य है।

(3) प्रस्तावित रास्ते के लिए प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल 410 वर्ग मीटर है। प्रभावित भूमि की वर्तमान वर्ष 2023 की डी.एल.सी दर इस पत्र के साथ सलंग्न है उक्त रास्ते में दो खेजड़ी के वृक्ष प्रभावित होगे जिनको हटाया जाना उचित होगा, लघु वृक्ष ख0 न0 53 व 67 की मेढ पर एवं 54 व 67 की मेढ पर है।

(4) प्रस्तावित रास्ता प्रथम का प्रभावित क्षेत्रफल ख0 न0 53 में 64 वर्ग मी0, ख0 न0 54 में 68 वर्ग मी0, व ख0 न0 67 में 210 वर्ग मी0, एवं ख0 न0 55 में 68 वर्ग मी0, कुल क्षेत्रफल प्रस्तावित रास्ता संख्या (1) का 410 वर्ग मीटर जो कि उचित है। प्रस्तावित रास्ता प्रथम जिसकी लम्बाई 105 मीटर है जो ख0 न0 58 पर पहुचने का निकटतम विकल्प होने के कारण उक्त रास्ते की अनुशंसा की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता क्रमांक (1) के अनुसार निवेदन किया यह रास्ता प्रार्थी के ख0 न0 58 हेतु ख0 न0 53, 54, 55 की पूर्वी मेड़ से होकर रास्ते तक जाता है तथा लघुतम मार्ग है। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रस्तावित रास्ता क्रमांक (2) वर्तमान में प्रार्थी उपयोग कर रहा है। अतः यही रास्ता प्रार्थी को दिया जावे।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। अतः न्यायालय प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को मात्र जोत के सुविधाजनक उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला पाता है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत/मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय तहसीलदार की मौका रिपोर्ट, के आधार पर आवेदकगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट के अनुसार, रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। तथा वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। चुकि प्रस्ताव संख्या (2) अप्रार्थी के खेत के मध्य से निकल रहे है अतः दिया जाना उचित नही है। अतः प्रस्ताव संख्या (1) के अनुसार प्रार्थी के ख0 न0 58 में पहुच हेतु ख0 न0 53, 54, 55 की पूर्वी मेड से एवंम ख0 न0 67 से कुल 410 वर्ग मीटर दिया जाता है। प्रार्थी डी.एल.सी का दुगुना अप्रार्थीगण को भुगतान करे। तहसीलदार राशि की गणना निर्णय के 15 दिवस में करना सुनिश्चित करे। रास्ता सार्वजनिक रास्ता रहेगा जो कि गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज होगा ।

आदेश

''न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मोई सद्दा (पुरानी) में स्थित भूमि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट प्रस्ताव संख्या (1) के आधार पर प्रार्थी को खसरा नम्बर 58 में जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 53, 54, 55 की पूर्वी मेड से एवंम ख0 न0 67 से कुल 410 वर्ग मीटर का रास्ता दिया जाता है। जिसको नजरी नक्शे में लाल सुर्ख से दर्शाया गया है। जिसको रास्ता के लिए दिये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श –''अ'' के अनुसार दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में ''सार्वजनिक रास्ते'' के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि प्रतिकार की राशि की गणना नियमानुसार ग्राम मोई सद्दा (पुरानी) की अधिकतम डी.एल.सी से निर्धारित दर से दो गुणा राशि नियमानुसार राजकोष में जमा होने पर संम्बन्धित खातेदार/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम किए जावे। तहसीलदार बुहाना का नक्शा ट्रेस प्रदर्श –''अ'' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे''।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुंझुनू (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 03/9/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुंझुनू (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना